

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक- वि.प्रा.(III) ब³ -13/2016-

/पटना, दिनांक-

प्रेषक,

ओम प्रकाश राय,
अपर सचिव

सेवा में,

प्राचार्य,

राजकीय पोलिटेकनिक, राघोपुर (सुपौल), जमुई, बांका, कैमुर, मधेपुरा, टेकारी (गया), दरभंगा, गोपालगंज,
तथा बरौनी

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयोजना भिन्न (गेर योजना) बजट "मुख्य शीर्ष -2203-तकनीकी शिक्षा, उप
मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष- 105- बहुशिल्प (पोलिटेकनिक) विद्यालय, मांग संख्या-43, उपशीर्ष -0001-
प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम" (विपत्र कोड- एन 2203001050001) के अधीन प्रथम किस्त का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, सुपौल, जमुई, शेखपुरा, बांका, कैमुर, मधेपुरा, गया, समस्तीपुर, गोपालगंज, तथा मुंगेर जिला
में नवस्वीकृत पोलिटेकनिक संस्थानों में वर्ष 2016-17 से सत्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में विषयांकित
बजटशीर्ष के अधीन अन्य विषयशीर्षों में उपबंधित राशि से दिनांक 31 मार्च 2017 तक नियमानुसार व्यय हेतु संबंधित
संस्थानों/मेंटर संस्थानों यथा राजकीय पोलिटेकनिक, राघोपुर (सुपौल), जमुई, बांका, कैमुर, मधेपुरा, टेकारी (गया),
दरभंगा, गोपालगंज, तथा बरौनी को प्रथम किस्त में कुल रू. 21,00,000=00 (इक्कीस लाख रुपये) मात्र का आवंटन
संलग्न विवरणी के अनुसार प्रदान किया जाता है।

2. संबंधित संस्थान अपने नाम के स्तम्भ में अंकित विषयशीर्षवार आवंटित राशि की सीमा तक व्यय करेंगे।
3. उक्त आवंटित राशि से विभागान्तर्गत नवस्वीकृत संस्थानों का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से स्वीकृति के प्रसंग में नवस्वीकृत संस्थानों के कार्यालय उपयोग हेतु आवश्यक सामग्रियों के क्रय से संबंधित विपत्रों, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के निरीक्षण दल द्वारा संस्थान के निरीक्षण पर हुए व्यय से संबंधित विपत्रों तथा नवस्वीकृत संस्थानों के परिसरों के सौंदर्यीकरण पर किये गए व्यय का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
4. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक- 423, दिनांक 31.03.2016 के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।
5. उक्त आवंटित राशि से दूसरे विषयशीर्षों में अपवर्तन कदापि नहीं किया जाय। यदि किसी विषयशीर्ष में राशि का व्यय संभावित नहीं हो तो उक्त विषयशीर्ष में आवंटित राशि का यथाशीघ्र सकारण प्रत्यर्पण कर विभाग को वापस लौटा दिया जाय।
6. विभिन्न विषयशीर्षों में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर समुचित आयोजना भिन्न, कोड संख्या सहित शीर्षों का नाम, मांग संख्या, विपत्र कोड तथा कुट संख्या सहित विषयशीर्षों के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।
7. स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश तथा विपत्रों में कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग के पूर्व प्रेषित पत्रांक-280/वि0, दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा-निर्देशों का आक्षरशः अनुपालन किया जाय।

8. व्यय विवरणी टी0 भी0 नं0 एवं तिथि सहित प्रत्येक माह के 7(सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेगें।
9. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु-यथा उपरोक्त
एक पृष्ठ

विश्वासभाजन

ह. / -
(ओम प्रकाश राय)
अपर सचिव

ज्ञापांक - वि.प्रा.(III) ब³ -13/2016-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि - विवरणी सहित महालेखाकार (ले. एवं हक.) बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
अपर सचिव

ज्ञापांक - वि.प्रा.(III) ब³ -13/2016-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि - विवरणी सहित कोषागार पदाधिकारी, सुपौल/जमुई/बांका/कैमुर/मधेपुरा/गया दरभंगा/गोपालगंज/बरौनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
अपर सचिव

ज्ञापांक - वि.प्रा.(III) ब³ -13/2016-


01/04/16

/पटना, दिनांक-

12/4/16

प्रतिलिपि:- : विवरणी सहित उप निदेशक (यो.)/ आई.टी. मैनेजर (ई-मेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु)/एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाईल में संधारण हेतु (निर्गत शखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

त. व. - 
12/4/16


अपर सचिव

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार

वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयोजना भिन्न (गैर योजना) बजट के "मुख्य शीर्ष -2203-तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-105-बहुशिल्प (पोलिटैकनिक) विद्यालय, उपशीर्ष -0001- प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम" के अधीन विभागान्तर्गत नवस्वीकृत राजकीय पोलिटैकनिक संस्थानों के लिए अन्य विषयशीर्षों में 31 मार्च 2017 तक नियमानुसार व्यय हेतु प्रथम किस्त का आवंटन विवरणीः--

मांग संख्या - 43,

विपत्र कोड - एन 2203001050001

विषय शीर्ष	रा. पो. राघोपुर (सुपौल)	रा. पो. जमुई	रा. पो. बांका	रा. पो. कैमुर	रा. पो. मधेपुरा	रा. पो. टेकारी (गया)	रा.पो. दरभंगा	रा. पो. गोपालगंज	रा.पो. बरौनी	अतिरिक्त आवंटित कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 01 कार्यालय व्यय	50000	100000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	500000
13 02 वाहन का इंधन एवं रखरखाव	10000	20000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	100000
21 01 सामग्री एवं पूर्तियां	50000	100000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	500000
27 02 अनुरक्षण एवं मरम्मत	50000	100000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	500000
28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	50000	100000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	500000
कुल योग	210000	420000	210000	210000	210000	210000	210000	210000	210000	2100000
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ण)

(क) दो लाख दस हजार रूपये मात्र।
 (ग) दो लाख दस हजार रूपये मात्र।
 (ङ) दो लाख दस हजार रूपये मात्र।
 (छ) दो लाख दस हजार रूपये मात्र।
 (झ) दो लाख दस हजार रूपये मात्र।

(ख) चार लाख बीस हजार रूपये मात्र।
 (घ) दो लाख दस हजार रूपये मात्र।
 (च) दो लाख दस हजार रूपये मात्र।
 (ज) दो लाख दस हजार रूपये मात्र।
 (ण) इक्कीस लाख रूपये मात्र।

अपर सचिव

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

बिहार, पटना


12/4/16